दैनिक भास्कर (हिंदी) और लोकमत टाइम्स (अंग्रेजी) समाचार पत्रों में 13 मई, 2026 को "स्टार हाउसिंग फाइनांस के खिलाफ सेबी में शिकायत" और "Promoters Flag ₹120 Crore Transaction Mismatch Before Regulator" शीर्षक के साथ प्रकाशित लेख पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रत्युत्तर

- राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बाजार आसूचना के आधार पर कि स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (स्टार एचएएफएल) लगातार गंभीर चलनिधि संकट का सामना कर रही थी, कंपनी का स्नैप ऑडिट 23 मार्च और 24 मार्च, 2026 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कंपनी को 27 मार्च, 2026 तक वांछित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन कंपनी ऐसा करने में विफल रही।
- इस संबंध में, राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों द्वारा 28 मार्च और 30 मार्च, 2026 को स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का एक और स्नैप ऑडिट किया गया था और इसके निष्कर्षों को 1 अप्रैल, 2026 को कंपनी और प्रमोटर के साथ साझा किया गया था ।
- प्रमोटर ने 30 मार्च, 2026 को स्नैप ऑडिट रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं पर पावती दी ।
- कंपनी के निदेशक मंडल ने भी 3 अप्रैल, 2026 को हुई अपनी बैठक में स्नैप ऑडिट रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की और प्रबंधन को तत्काल जवाब देने का निर्देश दिया। इसकी जानकारी बीएसई एक्सचेंज को दी गई।
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आवास बैंक के आग्रह पर, कंपनी द्वारा 6 अप्रैल, 2026 को 'धोखाधड़ी प्रबंधन रिपोर्ट' रिपोर्ट दायर की गई थी।
- राष्ट्रीय आवास बैंक ने 30 अप्रैल, 2026 से कंपनी का फोरेंसिक ऑडिट शुरू किया है और मामले की आगे जांच की जा रही है।

***